मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

/पटना, दिनांकः–

पत्रांकः–

प्रेषक,

ई0 योगेश्वर पाण्डेय,
मुख्य अभियंता–2

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधेपुरा।**

विषय– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **त्रिवेणीगंज** के अधीन **शीर्ष GTSNY** योजनान्तर्गत **Middle School Kumiyahi to Gorishankar Mandal ke Ghar तक पथ निर्माण कार्य** के समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। (एकरारनामा संख्या–**44 SBD/2018-19)**

प्रसंग– आपका पत्रांक–**999 अनु0**, दिनांक–**04.09.2020**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित कार्य प्रमण्डल, **त्रिवेणीगंज** के अधीन **शीर्ष GTSNY** योजनान्तर्गत **Middle School Kumiyahi to Gorishankar Mandal ke Ghar तक पथ निर्माण कार्य** जिसकी एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि **28.02.2018** एवं कार्य समाप्ति की तिथि **27.11.2018** निर्धारित थी। लेकिन संवेदक द्वारा वास्तविक रूप में उक्त कार्य को दिनांक **07.09.2019** को पूर्ण किया गया। संवेदक द्वारा कार्य को समय पर पूरा नहीं करने के निम्नलिखित कारण क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा बतलाते हुए अतिरिक्त समय देने की अनुशंसा की गई है:–

(i) अप्रत्यासित बाढ़ एवं वर्षा के कारण कार्य में विलंब हुआ।

आपके एवं कार्यपालक अभियंता, के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समय वृद्धि कार्य समाप्ति की तिथि **07.09.2019** तक समय वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की वे सुनिश्चित करें की कार्य मानक एवं एकरारनामा के अनुसार हुआ है।

1. **अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता** यह सुनिश्चित कर लें की मिट्टी अन्वेषण प्रमंडल द्वारा कोई भी प्रतिकुल जॉंच प्रतिवेदन अंकित नहीं की गई है एवं अगर की गई है तो उसका अनुपालन कर लिया गया है तथा इस योजना से संबंधित कोई भी ए0टी0आर0 **(ATR)** लम्बित नहीं है।
2. उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** अपना प्रतिवेदन आपको समर्पित करेगें एवं आप उनके स्थल निरीक्षण के पश्चात् पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को भेजेगें। अतः इसका अनुश्रवण व्यक्तिगत रूप से करें।
3. समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि भविष्य में किसी भी मद का प्राइस इसकालेशन **(Price Escalation)** एवं अन्य कोई भी अतिरिक्त दावा संवेदक का मान्य नहीं होगा।
4. सकारण आदेश पारित करने के उपरान्त ही अग्रेतर कारंवाई की जाय।
5. 5 वर्षीय रख–रखाव का प्रावधान होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेगें कि संवेदक 5 वर्षीय रख–रखाव का काम कर रहा है या 5 वर्षीय रख–रखाव कर चुका है।

विश्वासभाजन
ह0/–
मुख्य अभियंता–2

ज्ञापांक– 4867 **/पटना,** **दिनांक–** 17.9.20

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित। कृपया वर्णित निदेशों पर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के पश्चात् अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधेपुरा** से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कारंवाई करेंगे। किसी भी कमी के लिए आप भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

16.9.20
मुख्य अभियंता–2